(34)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1720–दो/2011 – विरूद्ध आदेश दिनांक 30.9.2011 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर – प्रकरण कमांक 486/2008–09 अपील

सीताराम पुत्र खूबसिंह रघुवॅशी
ग्राम मसीदपुर तहसील अशोकनगर
जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश ––– आवेदक

विरूद्ध

1– पहलवान सिंह
2– महेन्द्र सिंह
पुत्र खूवसिंह रघुवॅशी
ग्राम मसीदपुर तहसील अशोकनगर –––अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 3–11–2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 486/2008–09 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.9.2011 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने सरपंच ग्राम पंचायत मसीदपुर को प्रार्थना पत्र दिनांक 15-2-2007 प्रस्तुत कर मांग की कि दिनांक 4-10-06 को ग्राम मसीदपुर के भूमिस्वामी गनेशराम फोत हुये हैं उनकी भूमि पर वारिसान के नाम से नामान्तरण कार्यवाही की जा रही है वह नहीं की जावे , क्योंकि मृतक खूबसिंह पुत्र गणेशराम रघुवॅशी ने अपने जीवन काल में उनके नाम की भूमि बसीयत व्दारा प्रदान की है। नामान्तरण मामला विवादित होने पर सचिव ग्राम पंचायत मसीदपुर ने नायव तहसीलदार अशोकनगर की ओर प्रस्तुत किया, जिस पर से प्रकरण क्रमांक 25 अ 6/2006-07 पंजीबद्ध करके हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 31-7-2008 पारित किया गया तथा मृतक खूबसिंह की आराजी क्रमांक 135/1/1 रकबा 0.052 है. , 142 रकबा 0.063 है., 155 रकबा 0.125 है., 166/2 रकबा 0.042 है., 282/3 रकबा 1.254 है., 303/1 रकबा 1.918 है., 306 रकबा 0.105 है., 307 रकबा 0.151 है., 323/1 रकबा 0.542 है., 346/2/2 रकबा 1.202 है., 488 रकबा 0.470 है., 489/1 क रकवा 0.990 हैक्टर कुल किता 12 कुल रकबा 6.919 हैक्टर पर मृतक के सभी वारिसान का नामान्तरण स्वीकार करते हुये बसीयतनामा स्वीकार नहीं किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 98/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-8-2009 से अपील स्वीकार कर बसीयतनामा के आधार पर आवेदक का नामांत्रण स्वीकार किया गया तथा बसीयतनामे से शेष बची मृतक की भूमि पर वारिसान के आधार पर मृतक खूबसिंह के सभी वारिसान का समान भाग पर नामान्तरण करने के आदेश देते हुये नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 31-7-2008 निरस्त किया गया। इस आदेश के

विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 486/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.9.2011 से अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 98/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-8-2009 को निरस्त किया गया तथा नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 31.7.2008 को यथावत् रखा गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम मसीदपुर स्थित उपरोक्त वर्णित भूमियों के भूमिस्वामी मृतक खूबसिंह रहे है जिनकी मृत्यु होने पर नामान्तरण कार्यवाही प्रचलित हुई है। विचार योग्य बिन्दु है कि क्या बसीयत के आधार पर नामान्तरण किया जायेगा अथवा वारिसाना हक के आधार पर नामान्तरण किया जायेगा। इस सम्बन्ध में नायव तहसीलदार अशोकनगर के आदेश दिनांक 31-7-2008 के अवलोकन पर पाया गया कि नायव तहसीलदार ने आदेश के पद 10 में इस प्रकार माना है :-

" बसीयतकर्ता खूबसिंह पुत्र श्री गणेशराम जाति रघुवॅशी आयु 75 वर्ष व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम मसीदपुर कचनार तहसील व जिला अशोकनगर ने बसीयतग्रीता सीताराम पुत्र खूबसिंह जाति रघुवॅशी उम्री 30 वर्ष व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम मसीदपुर थाना कचनार तहसील व जिला अशोकनगर के हित में ग्राम मसीदपुर की भूमि सवे। ब्र. 488/0.470, 490/1 क रकबा 0.990 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.460 है. को गवाह (1) नवल सिंह **s/o** मिश्रीलाल वागढ़ी (2) पप्पू/भैयालाल जाति पाल नि. हिरिमन

के टपरा अशोकनगर के समक्ष की गई है अतः बसीयतनामा आवेदक व अनावेदकगण व बसीयत के गवाह नवल सिंह पप्पू से सही सिद्व की गई है।''

जब बसीयतनामा नायव तहसीलदार ने सिद्व माना है - उसे उपेक्षित करने या अनदेखा करने का कोई कारण नहीं बनता है, जिसके कारण विद्वान अनुविभागीय अधिकारी ने बसीयत वावत् सही निष्कर्ष निकाल कर बसीयत सिद्व मानने एंव बसीयत के आधार पर आवेदक को बसीयत अनुसार दी गई भूमि सर्वे कमांक 488 रकबा 0.470 हैक्टर तथा सर्वे नंबर 489/1क रकबा 0.990 हैक्टर पर नामान्तरण कराने का हक होना मानने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है । इसके विपरीत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर ने जानबूझकर आदेश दि. 30.9.2011 में वास्तविक स्थिति के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये अनुविभागीय अधिकारी के विधिवत् पारित आदेश को निरस्त करने में भूल की है , जिसके कारण अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 486/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.9.2011 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ने आदेश दि. 30.9.11 के पद 5 में निष्कर्ष निकाला है कि यद्यपि बसीयतनामा प्रमाणित हो जाता है फिर भी कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वह यह देखे कि बसीयतनामा किन परिस्थितियों में लिखा गया है विशेषकर जब बसीयत नामा एक वारिस को समस्त संपत्ति से बंचित किया गया हो। विचाराधीन प्रकरण में निकाला गया निष्कर्ष वास्तविकता के विपरीत है क्योंकि अन्य वारिसान को मृतक खूवसिंह की संपत्ति से बंचित नहीं किया गया है अपितु अन्य वारिसान को 6 वीघा कृषि भूमि एंव ट्रेक्टर देने का उल्लेख बसीयत में है तथा मृतक खूवसिंह के नाम कुल किता 12 कुल रकबा रकबा 6.919 हैक्टर

भूमि है, जिसमें से मात्र दो सर्वे नंबर क्रमशः भूमि सर्वे क्रमांक 488 रकबा 0.470 हैक्टर तथा सर्वे नंबर 489/1क रकबा 0.990 हैक्टर पर की भूमि बसीयतग्रहीता को दी गई है एंव शेष भूमि पर समस्त वारिसान को समान भाग पर नामान्तरण करने के निर्देश दिये गये है, तव यह नही माना जा सकता सकता कि अन्य वारिसान को खूवसिंह की संपत्ति से बंचित किया गया है । इसके विपरीत विचारण न्यायालय में हरबीर सिंह पुत्र खूवसिंह व्दारा दिये गये शपथ पत्र में भी बसीयत होना माना गया है अर्थात बसीयत संदेह से परे प्रमाणित हुई है। इस सम्बन्ध में अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर व्दारा आदेश दिनांक 6-8-09 में निकाला गया निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है जिसके कारण अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा आदेश दि. 30.9.2011 में निकाले गये निष्कर्ष वास्तविकता के विपरीत होना पाये गये हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 486/2008-09 अपील में पारित आदेश दि. 30.9.2011 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। परिणामतः अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर व्दारा प्रकरण क्रमांक 98/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-8-09 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर